संख्या-143/2022/147रासनि/23-1-22/002-04आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 27 जुलाई, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 16 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-334/CE-HQ-1/RSN 5054/GON/2022-23, दिनांक 18.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 16 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 15,82,80,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ बयासी लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	नि.ख. बलरामपुर	कालीथान से रंजीतपुर गांव सम्पर्क मार्ग तक का नवनिर्माण कार्य।	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20	58.19	43.64	0.25	14.30	14.30
2	नि.ख. बलरामपुर	पेहर हुसैनाबाद मार्ग से कल्लूडीह तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	35.6	23.14	0.24	12.22	12.22
3	नि.ख. बलरामपुर	मदारूडीह तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	25.47	16.56	0.22	8.69	8.69
4	नि.ख. बलरामपुर	पेहर हुसैनाबाद मार्ग से उल्लहिया तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	37.64	24.47	0.25	12.92	5.64
5	नि.ख. बलरामपुर	शेरगंज ग्रन्ट सम्पर्क मार्ग से मर्दानडीह तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	31.46	20.45	0.21	10.8	10.80
6	नि.ख.-2 गोण्डा	पी0डी0 बन्धा से अहिरनपुरवा, गोसाईपुरवा, गढ़ी, पासीपुरवा, तिवारीपुरवा, होते हुए जबरनगर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	87/2021/542 रासनि/23-1-21-16 रासनि/19	499.34	399.47	2.60	97.27	97.27
7	नि.ख.-2 गोण्डा	रूपईडीह इटियाथोक मार्ग के किमी0 4 से मोफियापुरवा, राम बिलासपुरवा, अल्लीपुरवा, भयापुरवा होते हुए दुल्हापुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	272/2021/1155 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20	302.71	45.41	0.52	256.78	151.35
8	नि.ख.-2 गोण्डा	अमदही धमसिहा मार्ग से खंडरवा, पाण्डेयपुरवा, कल्लूपुरवा (अमौठी) होते हुए टेपरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	354/2021/401 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20 टी0सी0	117.68	11.76	0.39	105.53	105.53
9	नि.ख.-2 गोण्डा	पी0डी0 बन्धा से लालपुर, माधवपुरवा, चमारनपुरवा, गढ़ी, लालापुरवा होते हुए वजीरपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	354/2021/401 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20 टी0सी0	490.37	99.03	0.76	390.58	248.18

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10	नि.ख.-2 गोण्डा	गोण्डा बेलसर मार्ग से कोरीपुरवा, पाठकपुरवा, पण्डितपुरवा होते हुए मीरपुरवा सम्पर्कमार्ग का निर्माण कार्य	352/2021/740 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0,	165.94	16.59	0.55	148.8	148.80
11	नि.ख.-2 गोण्डा	गोण्डा बेलसर मार्ग से बुढ़वा होते हुए माधवपुर के बीच छूटी कड़ी का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21	142.39	14.23	0.93	127.23	127.23
12	नि.ख.-2 गोण्डा	मुंजेड़ सम्पर्क मार्ग से मुरावनपुरव, बेहरारी, टेपरा, बैजनाथपुरवा होते हुए बम्बूपुरवासम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21	208.83	20.88	1.35	186.60	104.42
13	नि.ख.-2 गोण्डा	प्रधानमंत्री सड़क से प्राइमरी पाठशाला महराजगंज से तेलियनपुरवा, गोंडियनपुरवा गौचरी होते हुए धोबियनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21	253.19	25.31	1.70	226.18	126.59
14	नि.ख.-2 गोण्डा	आर्यनगर खरगूपुर मार्ग से पुरैनिय, पासीपुरवा, नौव्वागांव, चर्तुभुजीनाथ मन्दिर होते हुए कसमिरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21	198.59	19.85	0.50	178.24	178.24
15	नि.ख.-2 गोण्डा	पकड़ी मारूडीह सम्पर्क मार्ग से पूरे बदाचक होते हुए हनुमानपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	51/2022/1903 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20	237.44	23.74	0.48	213.22	118.72
16	नि.ख.-2 गोण्डा	कौंडिया बिछुड़ी मार्ग कि0मी0 3 से सलईपुरवा चौराहे से प्रधानपुरवा, पच्छूपुरवा होते हुए कौंडिया बिछुड़ी मार्ग तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	51/2022/1903 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20	139.33	13.93	0.58	124.82	124.82
							कुल योग-	1582.80

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 15,82,80,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ बयासी लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-143/2022/147रासनि(1)/23-1-22/002-04आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।